

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

—: आदेश :—

स्वालय, दिनांक— 30.3.2015

क्रमांक 173/सी0ओ0/स्था0एक/तक/2014 मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा जूनियर डाटा एन्ट्री आपरेटर चयन परीक्षा 2013 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा नियुक्ति संबंधी औपचारिकता पूर्ण की गई है को वेतनमान 5200-20200+2400 ग्रेड पे में जूनियर डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद पर प्रारम्भिक वेतन रूपये 7440+2400 ग्रेड पे तथा उस पर शासन द्वारा देय अन्य भत्तों में निम्न शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नियुक्त किया जाकर कॉलम क्रमांक 4 में दर्शाये कार्यालय में पदस्थ किया जाता है :-

स0क्र0	नाम अभ्यर्थी	वर्ग	पदस्थापना कार्यालय
1	2	3	4
1	कु0 रचना बघेल	आरक्षित	दमोह
2	श्री वीरपाल चौधरी	आरक्षित	बडवानी


2- उपरोक्तानुसार नियुक्त जूनियर डाटा एन्ट्री आपरेटरों की वरिष्ठता, नियुक्ति दिनांक पर विचार किये बिना व्यापम द्वारा प्रेषित की गई वरिष्ठता सूची अनुसार निर्धारित की जावेगी ।

3- यह नियुक्ति अस्थाई होगी । चयनित अभ्यर्थी 2 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त होगा । परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण न करने पर उम्मीदवार की सेवाए बिना नोटिस के समाप्त की जा सकेगी । संबंधित कर्मचारी एक माह का नोटिस देकर या एक माह के वेतन भत्तों की राशि भू-राजस्व के बकाया राशि की भांति कोषालय में जमा कर सेवा से त्याग पत्र दे सकेगा ।

4- उपरोक्त नियुक्ति में शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया गया है ।

5- उपरोक्तानुसार अभ्यर्थियों को पदस्थापना जिले में उपस्थित होने के समय शैक्षणिक योग्यता व अन्य आवश्यक मूल दस्तावेज तथा संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।


6- राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 के पश्चात नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को देय परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी ।



आयुक्त,  
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त,  
मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि :-

- सचिव, म०प्र०शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
- 2- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी म०प्र० ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 3- कलेक्टर भू-अभिलेख, जिला बडवानी, दमोह म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । कृपया संबंधित की उपस्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराये । संबंधित के जाति/मूल निवासी प्रमाण पत्र की सत्यता की पुष्टि एवं पुलिस चरित्र सत्यापन अपने स्तर से कराये ।
- 4- अनुभागीय अधिकारी, अनुभाग एक स्थापना/2 गोपनीय/सतर्कता/3 लेखा/ 4 बजट/ 5 पेंशन एवं निजी अनुभाग मुख्यालय की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 5- संबंधित श्री. \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ म०प्र० की ओर प्रेषित । आप उक्त आदेश के जारी होने के दिनांक से 20 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से पदस्थापना कार्यालय में उपस्थित होंगे । नियत समयावधि में उपस्थित न होने पर आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी । उपस्थिति के समय अपने शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी योग्यता/ अन्य मूल दस्तावेज छायाप्रति सहित व संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालयों में प्रस्तुत करें ।

  
 आयुक्त,  
 भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त,  
 मध्यप्रदेश